(वाद सं0– 481/4/37/2022)

08.09.2023

परिवादी, सुधीर सिंह, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी को दिनांक–07.12.2022 की रात्रि में सिवान जिलान्तर्गत गुढ़नी थाना के थाना प्रभारी द्वारा गलत तरीके से शराब पीने के जुर्म में पुलिस अभिरक्षा में लेकर उसका उत्पीड़न करने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **पुलिस अधीक्षक, सिवान** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **पुलिस अधीक्षक, सिवान के प्रतिवेदन व साथ अनुलग्नित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, सिवान के प्रतिवेदनानुसार, जाँच के क्रम में यह तथ्य उजागर हुआ है कि गुढ़नी थाना के थाना प्रभारी परिवादी के भतीजा, रौशन सिंह, को एक गोली काण्ड में गिरफ्तार करने जब उसके घर गई, तो उस दौरान परिवादी मुँह पर कपड़ा लपेटकर पुलिस से बात करने लगे। परिवादी के मुँह से शराब पीने की बदबू आ रही थी। ब्रेथ एनालाईजर से जाँच करने पर शराब पीने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात परिवादी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समझ लाया गया, जहाँ परिवादी जुर्माना देकर मुक्त हो गये। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि परिवादी के विरूद्ध भा0द0स0 की धारा–323/341/313/498(a)/120(b) व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित जीरादेई थाना काण्ड संख्या–22/20, दिनांक–04.03.2020 दर्ज है, जिसमें परिवादी व अन्य नामांकित अभियुक्तों की संलिप्तता को सत्य पाया गया है तथा आरोप पत्र समर्पित करने की अनुशंसा की गई है। प्रतिवेदन में परिवादी द्वारा पुलिस पर लगाये गये आरोप को गलत एवं बेबुनियाद बताया गया है।**

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। अपने प्रत्युत्तर में परिवादी द्वारा पुलिस प्रतिवेदन का प्रतिवाद किया गया है तथा उसका कथन है कि जीरादेई थाना काण्ड संख्या–22/2020 में उसकी कोई संलिप्तता नहीं है।

अब जबकि परिवादी द्वारा शराब पीने से सम्बन्धित आरोप पर अपने अपराध को स्वीकार करते हुए न्यायालय में अर्थदण्ड जमा कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में उक्त पर राज्य आयोग के स्तर से कोई अग्रतर कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं पाकर संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ पुलिस अधीक्षक, सिवान के प्रतिवेदन (पृष्ठ 08–06/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक